

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा ।

विषय:— FP/RJ/TRANS/18259/2016

सन्दर्भ:— इस कार्यालय का पत्रांक एफ 13(वन संरक्षण)समुवसं/2017/1170 दिनांक 09.02.2017

पार्ट-II का परीक्षण उपरान्त पाया गया है कि निम्नांकित बिन्दुओं का ऑफ लाईन संशोधन तो किया हुआ है परन्तु ऑनलाईन संशोधन किया जाना अपेक्षित है। अतः पालना से अवगत करावें।

1. प्रस्ताव में प्रस्तुत पार्ट-II में बिन्दु संख्या 5 पर प्रत्यावर्तित होने वाली भूमि की कार्य आयोजना प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है।
2. KML फाईल PolyGone शेप में नहीं है।
3. डीजीपीएस मेप संलग्न नहीं है।
4. Land Suitability Certificate नहीं है।
5. Transmission Line के नीचे बौनी प्रजाति (मुख्यतः औषधिय पौधे) के वृक्षारोपण एवं संधारण के मॉडल प्रस्तुत नहीं किये हैं।
6. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित भूमि की Topo Sheet प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि उपलब्ध नहीं कराने का औचित्य नहीं दर्शाया गया है साथ ही क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में वनखण्ड का नाम भी अंकित करें।
7. एनपीवी का विवरण नहीं दिया गया है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि बिन्दु संख्या 1 से 6 तक के आक्षेप की पूर्ति पार्ट-II में करके ऑन लाईन इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।